प्रपत्र सं. - 03 [नियम-13 (1) (क) / 16 (3) देखें]

ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)

प्रथम तल एससीओ 33-34-35, सेक्टर-17ए, चंडीगढ़
(तृतीय एवं चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्पेस आवंटित)

वाद सं. : OA No. 2366 of 2019

ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप–नियम (2क) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19(4) के तहत सम्मन

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
बनाम
मैसर्स झनकार इलेक्ट्रॉनिक्स एवं अन्य

सेवा में,

(1) मैसर्स झंकार इलेक्ट्रॉनिक्स, दुकान नंबर डी–117 के सी बड़खल एसजीएम नगर फरीदाबाद–121004, अपने एकमात्र प्रोपराइटर श्री विजय प्रताप विग के माध्यम से एक प्रोपराइटरशिप कंसर्न पैन नं. ABSPW4938J

(2) श्री विजय प्रताप विग पुत्र ओंकार नाथ विग, निवासी मकान नंबर 752/ईडब्ल्यूएस हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर 23 फरीदाबाद, हरियाणा

(3) श्रीमती वर्षा विग पत्नी श्री विजय प्रताप विग, निवासी हाउस नंबर 752/ईडब्ल्यूएस हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर 23 फरीदाबाद, हरियाणा

सम्मन

जबकि, ओए2388/2019 माननीय पीठ अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष **05–12–2023** को पेश किया गया था।

जबकि, यह माननीय न्यायाधिकरण **रु. 10591397/–** की ऋण वसूली के लिए आपके विरूद्ध दाखिल किए गए (ओए) के संबंध में, अधिनियम की धारा 19(4) के तहत, उक्त आवेदन पर सम्मन/नोटिस जारी करने का अनुग्रह कर रहा है (दस्तावेजों इत्यादि की प्रतियों सहित आवेदन संलग्न है)।

अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के तहत आप प्रतिवादी(यों) को निम्न निर्देश भी दिया जाता है :–

1. सम्मन की तामील के तीस दिन के भीतर कारण बताएं कि प्रार्थित राहत क्यों मंजूर नहीं की जाए ;
2. मूल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के अतिरिक्त सम्पत्तियों अथवा आस्तियों का विवरण, प्रस्तुत करें ;
3. आप को, सम्पत्ति की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई तथा आवेदन का निस्तारण लम्बित रहने तक, प्रत्याभूत आस्तियों अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के संबंध में संव्यवहार अथवा निपटान करने की मनाही की जाती है ;
4. आप किसी भी आस्ति जिस पर कोई प्रतिभूति हित सृजित किया गया है तथा/अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट अथवा खुलासा की गई सम्पत्तियों तथा आस्तियों का अंतरण बिक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से, आपके व्यवसाय के साधारण कोर्स को छोड़कर, न्यायाधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना, नहीं करेंगे ;
5. आप व्यवसाय के साधारण कोर्स में प्रत्याभूत आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि का हिसाब रखने तथा ऐसी बिक्री प्राप्तियां इन आस्तियों पर प्रतिभूति हित धारक बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं में अनुरक्षित खाते में जमा करने हेतु जिम्मेदार होंगे।

आपको लिखित बयान दाखिल करने, उसकी प्रति आवदेक को मुहैया कराने तथा दिनांक **28–02–2024 को पूर्वा. 10.30** बजे **रजिस्ट्रार** के समक्ष पेश हाने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसमें असफल रहने पर आवेदन की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर लगाकर 08–12–2023 को दिया गया।

सम्मन जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

MANIBHAVNAM HOME FINANCE INDIA PRIVATE LIMITED

POSSESSION NOTICE (Appendix IV) Rule 8(1)

जबकि मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी ,ए (इसके बाद 'एमबीएचएफ' रूप में संदर्भित)। एमबीएचएफ, जिसे केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 17.06.2021 की एक अधिसूचना के माध्यम से विधिवत अधिकृत किया गया है, जिसे 'वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002'के प्रावधानों के लिए एक वित्तीय संस्थान के रूप में माना जाएगा। वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के प्राक्कथनों के तहत इसका पंजीकृत कार्यालय : – दूसरी मंजिल, एन –2, साउथ एक्सटेंशन पार्ट –1, नई दिल्ली – 110049

(इसके बाद इसे 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह–उधारकर्ताओं को एक मांग सूचना जारी किया गया है तथा नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा। उधारकर्ता/गारंटर द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, ऋणकर्ता और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने यहां वर्णित संपत्ति पर नीचे उल्लिखित तिथि के अनुसार सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन 'एमबीएचएफ' शुल्क और उस पर ब्याज के अन्य शुल्कों के अधीन होगा।

सुरक्षित संपत्ति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता का नाम और पता: 1. रीता देवी पत्नी सुभाष चंद, 2. अश्वनी पुत्र सुभाष चंद, 3. सुभाष चंद पुत्र चरण दास, 4. विशाल पुत्र सुभाष चंद, सभी निवासी – 1285, पुरानी यमुना कॉलोनी डाकपत्थर, विकासनगर, देहरादून, उत्तराखंड–248125

डिमांड नोटिस दिनांक: 08.12.2023, **कब्जे की तिथि:** 14.02.2024

डिमांड नोटिस की राशि: . 26–नवंबर–2023 को रु 13,06,865.85/– (तेरह लाख छह हजार आठ सौ पैंसठ रुपये और केवल पचासी पैसे)

संपत्ति का विवरण: आवासीय भूमि का वह सभी टुकड़ा और टुकड़ा जिसका खतौनी खाता संख्या 381, खसरा नं. 838, क्षेत्रफल 226.33 वर्ग मीटर, मौजा खेरापचवा, परगना पछवादून, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून, उत्तराखंड में स्थित है।इस प्रकार बंधा हुआ: पूर्व: अन्य की भूमि, उत्तर: 12 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम: अन्य की भूमि, दक्षिण: अन्य की भूमि।

उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता का नाम और पता: 1. शैता शर्मा पत्नी राजेश शर्मा, खाता नं. 529, खसरा नं. 122/93, सेंट्रल होप टाउन, देहरादून, विकासनगर, उत्तरांचल– 248197. यहां भी:– भगवती इंटरप्राइजेज हरिपुर, निगम रोड, सेंट्रल होप टाउन, सेलाकुई, देहरादून, उत्तराखंड – 248197. 2. राजेश शर्मा पुत्र विष्णु दत्त खाता नंबर 529. खसरा नं. 122/93, सेंट्रल होप टाउन, देहरादून, विकासनगर, उत्तरांचल–248197। यहां भी :– हरिपुर, सेलाकुई, देहरादून, उत्तराखंड–248197 3. शिखा गौड़ पुत्री राजेश गौड़ खाता नं. 529, खसरा नं. 122/93, सेंट्रल होप टाउन, देहरादून, विकासनगर, उत्तरांचल 248197 मोबाइल नंबर: 9536948269 यहां भी :– इंटास फार्मा, हरिपुर, निगम रोड, सेलाकुई, देहरादून, उत्तराखंड–248197 4. दिनेश कुमार सेंट्रल होप सेलाकुई, टाउन, देहरादून, विकासनगर, उत्तरांचल– 248197

डिमांड नोटिस दिनांक: 08.12.2023, कब्जे की तिथि: 14.02.2024
डिमांड नोटिस की राशि: 26–नवंबर–2023 को रु 13,52,653.92/– (तेरह लाख बायन हजार छह सौ तिरपन रुपये और केवल निन्यानबे पैसे)।

संपत्ति का विवरण: भूमि का वह सारा टुकड़ा और टुकड़ा, भूमिधर खाता नं. 529 (फसली वर्ष 1394 1399), खसरा नं. 122/93 रकबा 33.45 वर्ग मीटर जिसमें एक दुकान बनी है, मौजा–सेहोता, परगना पछवादून, तहसील जिला देहरादून में स्थित है।
इसकी सीमा इस प्रकार है: विकासनगर, पूर्व: 25 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण: संपत्ति नरेश कुमार, उत्तर: भूमि अन्य,

स्थान: उत्तराखंड — प्राधिकृत अधिकारी,
दिनांक: 16.02.2024 — मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्रा. लिमिटेड

PEGASUS

पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

55–56, 5वां तल, फ्री प्रेस हाउस, नरीमन प्वाइंट,
मुंबई–400021, दूरभाष सं.: 022–61884700
ईमेल : sys@pegasus-arc.com, यूआरएल : www.pegasus-arc.com

ई–नीलामी की सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विक्रय।

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप में ऋणकर्ता और गारंटरों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता, पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (यहां इसमें इसके उपरांत ''पेगासस'' के रूप में संदर्भित) जो पेगासस ग्रुप ट्वंटी–फोर ट्रस्ट । के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत है, के पास प्रभारित निम्न विवरणित प्रतिभूत परिसंपत्ति, सरफॉएसि अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत एसाइनमेंट अनुबंध दिनांकित 26–03–2014 के माध्यम से कैथोलिक सिरेन बैंक (सीएसबी बैंक) द्वारा रेखांकित प्रतिभूतियों, हित के साथ निम्न वर्णित उधारकर्ता को देयराशियां सौंपी जा रही हैं।

पेगासस के प्राधिकृत अधिकारी ने सरफॉएसि अधिनियम तथा सरफॉएसि नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत निम्न वर्णित संपत्ति का भौतिक अधिग्रहण 27–07–2023 को कर लिया है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुये निम्न वर्णित प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विक्रय ''जैसी है जहां है'', ''जैसी है जो है'' और ''वहां जो कुछ भी है'' आधार पर 21–03–2024 को समस्त ज्ञात एवं अज्ञात देनदारियों के साथ किया जायेगा, जो कि रु. 1,48,86,369.10/– (रुपये एक करोड़ अड़तालीस लाख छियासी हजार तीन सौ उनहत्तर एवं दस पैसे मात्र) की राशि, 05–10–2023 के अनुसार, तथा 06–10–2023 से संविदागत दर प्रभावी भावी ब्याज और राशि पर नियत लागता, शुल्कों एवं व्ययों की वसूली के लिये किया जायेगा, जो कि मैसर्स एस. के. एंटरप्राइजेज (उधारकर्ता), नसरुद्दीन खान (सह–उधारकर्ता) और फरजाना (गारंटर) की ओर से पेगासस को देय–भुग्तेय है।

आरक्षित मूल्य रु. 26,33,000/– (रुपये छब्बीस लाख तैंतिस हजार मात्र) होगा तथा धरोहर राशि जमा रु. 2,63,300/– (रुपये दो लाख तिरेसठ हजार तीन सौ मात्र) होगी।

उधारकर्ता/गारंटर का नाम :	1. मैसर्स एस. के. एंटरप्राइजेज 2. नसरुद्दीन खान (सह–उधारकर्ता) 3. फरजाना (गारंटर)
अचल संपत्ति का विवरण	आवासीय संपत्ति जो भूखंड सं. 80 पर स्थित, खसरा सं. 30/13 के भाग की संरचनाकारी, मौजा सरन, तहसील एवं जिला फरीदाबाद, अब मकान नं. ई–1069 के रूप में ज्ञात, डाबुआ कॉलोनी, फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित, माप 100 वर्ग गज, नसरुद्दीन खान के स्वामित्व में, निम्नानुसार परिसीमित : पूर्व– प्लॉट नं. 79, पश्चिम– प्लॉट नं. 81, उत्तर– सड़क, पश्चिम– प्लॉट नं. 71
आरक्षित मूल्य	रु. 26,33,000/– (रुपये छब्बीस लाख तैंतिस हजार मात्र)
धरोहर राशि जमा	रु. 2,63,300/– (रुपये दो लाख तिरेसठ हजार तीन सौ मात्र)
चल संपत्ति का विवरण	शून्य
दावे, यदि कोई, जिन्हें संपत्ति के समक्ष अग्रसा. रित किया गया है तथा प्रतिभूति ऋणदाता को विदित कोई अन्य देयराशि तथा मूल्य	अज्ञात
CERSAI	परिसंपत्ति आईडी– 400002955980, प्रतिभूति आईडी– 200002953575
संपत्ति का निरीक्षण	13–03–2024 को 11.00 से 2.00 बजे के मध्य, संपर्क हेतु व्यक्ति : श्री रमाकांत पांडे (प्राधिकृत अधिकारी)– 9087788888, श्री हिमांशु सिंह– 7376358678
बोली जमा करने की अंतिम तिथि/बोली :	20–03–2024 को 4.00 बजे तक
बोली खोलने का समय एवं स्थान	ई–नीलामी/बोलीदान वेबसाइट (**https://sarfaesi.auctiontiger.net**) के माध्यम से 21–03–2024 को 11.00 से 1.00 बजे तक

यह प्रकाशन उपर्युक्त वर्णित उधारकर्ताओं/गारंटरों हेतु प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत एक तीस दिवसीय सूचना भी है। उधारकर्तागण / गारंटरगण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के प्रभावी विक्रय से पूर्व किसी भी समय रु. 1,48,86,369.10/– (रुपये एक करोड़ अड़तालीस लाख छियासी हजार तीन सौ उनहत्तर एवं दस पैसे मात्र) की कुल बकाया राशियों, 05–10–2023 के अनुसार, तथा 06–10–2023 से प्रभावी भावी ब्याज और लागतों, शुल्कों एवं व्ययों का भुगतान करके ऋण खातों को बंद कर सकते हैं तथा प्रतिभूत परिसंपत्तियों को ऋणमुक्त कर सकते हैं। विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये तथा ई–नीलामी में भाग लेने के लिये अपनी बोलियां जमा करने से पूर्व संपत्ति से संबंधित ई–नीलामी/विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों तथा अन्य विवरणों के लिये कृपया प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट वेबसाइट पर उलपब्ध लिंक **http://www.pegasus-arc.com/assets-to-auction.html** का संदर्भ लें। बोलीदातागण, वेबसाइट : **https://sarfaesi.auctiontiger.net** भी देख सकते हैं अथवा सेवा प्रदाता मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलोजीज लि. ऑक्शन टाइगर, बिडर सपोर्ट : 079.68136805 / 68136837, श्री रामप्रसाद– मोबाइल :. 91 9978591888 एवं 8000023297, ईमेल : **ramprasad@auctiontiger.net** और **support@auctiontiger.net** पर संपर्क कर सकते हैं।

स्थान : फरीदाबाद — प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 16–02–2024 — पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (पेगासस ग्रुप ट्वंटी–फोर ट्रस्ट । के ट्रस्टी)

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक

(एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

पंजीकृत कार्यालय :– द फेयरवे, भू एवं प्रथम तल, सर्वे नं. 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, ऑफ डोम्लुर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के समीप, छल्लाघट्टा, बैंगलोर–560071,

क्षेत्रीय शाखा कार्यालय :– 16/12, द्वितीय तल, डब्ल्यू.ई.ए, आर्य समाज रोड, करोल बाग, दल्ली–110005

सरफाएसि अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

जबकि आप अर्थात् निम्नलिखित उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं, गारंटरों तथा बंधककर्ताओं ने जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड से अपनी अचल संपत्तियों को बंधक रखकर ऋण प्राप्त किए थे। आप सभी के द्वारा की गयी चूक के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाता को अनिष्पादनीय परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है, जबकि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने अधिनियम के अंतर्गत एक प्रतिभूत ऋणदाता के रूप में, तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 2 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, मांग सूचना निर्गत की थी, जिसमें निम्न स्तंभ सं. 2 में वर्णितानुसार उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ताओं को, सूचनाओं में अंकित राशि का राशि पर आकलित भावी ब्याज के साथ, सूचना की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, प्रतिभुगतान करने को कहा गया था, परंतु विभिन्न कारणों से उनमें से कुछ को सूचनायें सर्व/प्राप्त नहीं हो सकीं।

क्र. सं.	उधारकर्ता सह–उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता के नाम	ऋण खाता सं. एवं ऋण राशि	प्रवर्तित की जानेवाली प्रतिभूति के विवरण	एनपीए की तिथि एवं मांग सूचना तिथि	देयराशि रु. में / के अनुसार
1.	1) मैसर्स एंजल फैशन हब, अपने स्वामी श्री अनूप कुमार के माध्यम से, 2) श्री अनूप कुमार (उधारकर्ता), 3) श्रीमती ललिता कुशवाहा (गारंटर)	ऋण खाता संख्या 45138640001208, 45139660000612, 45139660000622, 45139660001332 एवं 45139660001562 ऋण राशि : रु. 10,00,000/– रु. 1,80,000/– रु. 1,80,000/– रु. 20,000/– रु. 1,00,000/–	**प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विवरण :** भाग–'ए' – दृष्टिबंधककृत चल परिसंपत्तियां : कंपनी के व्यावसायिक परिसरों अर्थात् मैसर्स एंजल फैशन हब, आरजेड–एफ86ए, अपर ग्राउंड फ्लोर, गली नंबर 1, महावीर एन्क्लेव–1, पालम, दिल्ली–110045 के खाते की बहियों और प्राप्य और बही ऋणों में सभी कच्चे माल और स्टॉक पर पहला प्रभार। भाग–'बी' : बंधककृत अचल संपत्ति – अनुसूची संपत्ति – **संपत्ति विवरण :** छत के अधिकारों के बिना संपूर्ण निर्मित ऊपरी भूतल, पिछला भाग संपत्ति संख्या आरजेडएफ – 1/86ए, कुल क्षेत्रफल 140 वर्ग गज में से 70 वर्ग गज का क्षेत्रफल, खसरा संख्या 88/13/1 में से, ग्राम पालम के क्षेत्र, दिल्ली एस्टेट, कॉलोनी ज्ञात महावीर एन्क्लेव भाग–1 के रूप में, नई दिल्ली–110045 में स्थित, श्रीमती ललिता कुशवाहा पत्नी श्री सुशीम कुशवाहा के स्वामित्व में, निम्नानुसार परिसीमित :– पूर्व : प्लॉट का हिस्सा, पश्चिम : 15 फुट चौड़ी सड़क, उत्तर : अन्य की संपत्ति, दक्षिण : अन्य की संपत्ति।	एनपीए की तिथि : 01–02–2024 मांग सूचना तिथि : 13–02–2024	रु. 12,21,417/– (रुपये बारह लाख इक्कीस हजार चार सौ सत्रह मात्र) 11–02–2024 के अनुसार

अतः उपरोक्त स्तंभ सं. 2 में वर्णितानुसार उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर एवं बंधककर्ता को सूचित किया जाता है और उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन के 60 दिवसों के अंदर, उपरोक्त स्तंभ सं. 6 में निदर्शितानुसार कुल राशि का भुगतान करें, क्योंकि उक्त राशि को उपरोक्त स्तंभ सं. 6 में निदर्शित तिथि के अनुसार संबंधित ऋण खाता के संबंध में भुगतानयोग्य पाया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि भुगतान की तिथि तक भुगतानयोग्य कुल राशि का भावी ब्याज एवं अन्य राशियों के साथ भुगतान नहीं किया जाता है तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड उपर्युक्त स्तंभ सं. 4 में विवरणितानुसार संपत्तियों पर प्रतिभूति हित के प्रवर्तन हेतु उचित कार्यवाही करने को बाध्य–विवश होगी। कृपया ध्यान दें कि यह प्रकाशन, विधि–व्यवस्था (लॉ) के अंतर्गत उक्त फाइनेंशियल्स के उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ताओं के विरुद्ध जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के पास उपलब्ध ऐसे अधिकारों एवं उपचारों के पूर्वाग्रह के बिना प्रकाशित किया जा रहा है। आपसे आगे विनती की जाती है कि इस बिंदु पर ध्यान लगायें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आप पर प्रतिबंध/निषेध लगाया जाता है कि आप प्रतिभूत ऋणदाता की पूर्व सहमति के बिना उपरोक्त प्रतिभूति का निस्तारण या संव्यवहार नहीं कर सकते अथवा प्रतिभूत परिसंपत्ति का विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकते।

दिनांक : 16–02–2024, स्थान : दिल्ली राराक्षे — हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, कृते जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

इंडियन ओवरसीज बैंक

कैलाश कॉलोनी शाखा
एचएस–32, कैलाश कॉलोनी मार्केट, नई दिल्ली–110048
दूरभाष : 011–29232509, ई–मेल : iob2071@iob.in

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना
[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8(6) के प्रावधानों के तहत]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि इंडियन ओवरसीज बैंक के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां, जिस पर इण्डियन ओवरसीज बैंक के अधिकृत प्राधिकारी ने कब्जा कर लिया है, की बिक्री ''जैसा है जहाँ है'', ''जो है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर निम्नलिखित विवरणों के अनुसार की जायेगी :

क्र. सं.	कर्जदार का नाम / जमानतियों के नाम	इंडियन ओवरसीज बैंक की बकाया राशि	अचल सम्पत्ति का विवरण / ज्ञात ऋण भार, यदि कोई हो : ज्ञात नहीं	कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य / जमा धरोहर राशि / बोली वृद्धि	नीलामी की तिथि / ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि / सम्पर्क व्यक्ति
1	• मैसर्स ऑर्नेट फैशन (साझेदार फर्म) • श्री राजेश कपूर (साझेदार/गारंटर) • सुश्री चकुल कपूर (साझेदार/गारंटर) • सुश्री अनिता देव (गारंटर/बंधककर्ता)	रु. 1,44,74,105.30 ***पूर्ण भुगतान की तिथि तक लागतों/प्रभारों के अतिरिक्त अनुबंध दर पर भावी ब्याज	आवासीय इकाई (पूरे निचले भूतल पर) संपत्ति संख्या ई–97 (प्लॉट ई, प्लॉट नंबर 97), ग्रेटर कैलाश, पार्ट 1, नई दिल्ली – 110048। फ्लैट का प्लिंथ एरिया 1560 वर्ग फुट कवर्ड एरिया (300 वर्ग गज क्षेत्र के प्लॉट पर)। संपत्ति श्रीमती अनिता देव पुत्री श्री गौरी शंकर रस्तोगी के नाम पर संपत्ति की सीमाएं: उत्तर: लगभग 40 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण: सर्विस लेन, पूर्व: प्लॉट नं. ई–99 पश्चिम: प्लॉट नं. ई–95 ****(उपरोक्त बंधक संपत्ति मैसर्स ऑर्नेट फैशन और मैसर्स ग्रीन डॉट एयर एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए कॉमन है)	बौतिक कब्जा	रु. 1,16,20,000/– रु. 11,62,000/– रु. 50,000/–	06.03.2024 05.03.2024 श्री एम. मनेश्वरन दूरभाष : +91 8904077463
2	• मैसर्स ग्रीन डॉट एयर एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड • श्री हृषिकेश मोहंती (निदेशक/गारंटर) • सुश्री संघमित्रा मोहंती (निदेशक) • सुश्री अनिता देव (बंधक/गारंटर) • श्री राजेश कपूर (गारंटर)	रु. 6,04,830.19 ***पूर्ण भुगतान की तिथि तक लागतों/प्रभारों के अतिरिक्त अनुबंध दर पर भावी ब्याज				

* जहाँ प्रयोज्य है, आरक्षित मूल्य आईटी अधिनियम की धारा 194(आईए) के तहत 1% कर सहित है।
* बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया लिंक https://ibapi.in देखें।
* इसे उपर्युक्त तिथि पर ई–नीलामी के आयोजन के विषय में वर्णित ऋण के कर्जदार/रों तथा जमानती/यों/बंधककर्ताओं के लिए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6)/नियम 9(1) के तहत सूचना भी मानी जाए।
* ईएमडी जमा करने की प्रारम्भिक तिथि 17.02.2024 है।
* निरीक्षण की तिथि : 04.03.2024 व्यावसायिक घंटों के दौरान बैंक से पूर्व अनुमति लेकर

दिनांक : 15.02.2024 — स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन ओवरसीज बैंक

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली (दक्षिण)
तीसरा तल, सोरबजी भवन, 4/54, डी.बी. गुप्ता रोड, करोलबाग, नई दिल्ली-110005

ई–नीलामी बिक्री सूचना
(सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत)

परिशिष्ट - IV - A [नियम 8(6) एवं 9(1) का प्रावधान देखें] अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत ई–नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका रचनात्मक/भैतिक कब्जा **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया** (प्रतिभूत लेनदार) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, नीचे वर्णित कर्जदार(रों) तथा जमानती(यों) से **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया** के बकाये की वसूली हेतु उसकी **बिक्री 04.03.2024 को "जहाँ है जैसा है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है"** आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि (ईएमडी) सम्बद्ध सम्पत्तियों के विवरणों के सम्मुख प्रदर्शित है।

04.03.2024 को आयोजित होने वाली ई–नीलामी (15 दिवसीय सूचना)

रू. लाख में

क्र. सं.	शाखा का नाम	अधिकृत प्राधिकारी/शा.प्र.	खाते का नाम	सम्पत्ति का विवरण तथा स्वामी का नाम	मांग सूचना की तिथि एवं बकाया राशि (रू. लाख में)	कब्जे की तिथि एवं प्रकार	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / संविदा वृद्धि
1.	ओखला नई दिल्ली	श्री अजय शर्मा मोबाइल: 9999917125	श्री विशाल एवं श्रीमती आशा देवी	संपत्ति संख्या आरजेड-16ए/15-डी/2 (खसरा संख्या 392 में से) दूसरी मंजिल (दाहिनी ओर) बिना छत के अधिकार के साथ एक बाइक पार्किंग ग्राम नांगल राया, पश्चिम सागरपुर, नई दिल्ली-110046 माप क्षेत्र 65 वर्ग गज। **श्री विशाल और श्रीमती आशा देवी के नाम पर।**	28.06.2021 रू.25,63,238/- + उसके बाद ब्याज	11.04.2022 (भौतिक)	₹ 17.55 लाख ₹ 1.75 लाख ₹ 0.20 लाख
2.	जसोला नई दिल्ली	श्री अशोक कुमार मोबाइल: 8447633471	श्री राघवेन्द्र सिंह एवं श्रीमती सीमा सिंह	संपत्ति संख्या 929, गली नंबर 8, खसरा संख्या 93 में से, गोविंदपुरी, कालकाजी, नई दिल्ली-110019 में स्थित संपूर्ण प्रथम तल की आवासीय संपत्ति, जिसका क्षेत्रफल 60 वर्ग गज है। **श्री राघवेन्द्र सिंह एवं श्रीमती सीमा सिंह के नाम पर**	02.09.2020 रू.15,13,823/- + उसके बाद ब्याज	24.06.2022 (भौतिक)	₹ 15.39 लाख ₹ 1.54 लाख ₹ 0.20 लाख
3.	जसोला नई दिल्ली	श्री अशोक कुमार मोबाइल: 8447633471	श्री प्रीतपाल सिंह एवं श्रीमती मनप्रीत कौर	छत/टेरेस अधिकारों के साथ पूरी तीसरी मंजिल, फ्री होल्ड संपत्ति संख्या WZ-III-B/10 का हिस्सा होने के नाते, प्लॉट संख्या बी-10 एवं बी-11 का हिस्सा। आयत क्रमांक 31 से लगभग 104 वर्ग गज क्षेत्रफल में निर्मित। किला नंबर 15/1, ख्याला गांव के क्षेत्र और राजस्व संपदा में, विष्णु गार्डन, नई दिल्ली-110018 में स्थित है। माप क्षेत्रफल 842 वर्गफुट **श्रीमती मनप्रीत कौर पत्नी श्री प्रीतपाल सिंह के नाम पर।**	29.10.2019 रू.33,56,461/- + उसके बाद ब्याज	06.07.2022 (भौतिक)	₹ 46.98 लाख ₹ 4.70 लाख ₹ 0.50 लाख
4.	गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली	मिस स्नेह मीरचंदानी मोबाइल: 8448296394	श्री प्रवीण चौधरी	आरजेड-750/23, गली नंबर 23, पहली मंजिल, खसरा नंबर 443/2, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110019, कारपेट एरिया 83.34 वर्ग मीटर, **मालिक - श्री प्रवीण चौधरी पुत्र श्री ए के चौधरी**	30.09.2020 रू.52,17,375/- + उसके बाद ब्याज	14.09.2022 (भौतिक)	₹ 37.50 लाख ₹ 3.75 लाख ₹ 0.30 लाख
5.	गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली	मिस स्नेह मीरचंदानी मोबाइल: 8448296394	श्रीमती निर्मला एवं श्री अवतार सिंह	आरजेड-750, गली नंबर 23, दूसरी मंजिल दाईं ओर, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली- 110019. कारपेट एरिया 448.53 वर्ग फुट, **मालिक - श्रीमती निर्मला पत्नी. श्री अवतार सिंह**	28.02.2021 रू.24,99,273/- + उसके बा